

न्यायालय सिविल जज(क0प्र0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास, अलीगढ़।

वाद सं0-211/12/22

सी0एन0आर0 न0-यू0पी0ए0एल018-002358-22

हरी सिंह

बनाम

अज्ञात

अ0सं0-298/22

धारा- 363 भा0दं0सं0

थाना-इगलास, जिला अलीगढ़।

03-08-23

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/आरोपक पर भेजे गये नोटिस/सम्मन की तामील पर्याप्त है। इसके बाद भी वादी/आरोपक न्यायालय में उपस्थित नहीं आया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/आरोपक अन्तिम आख्या पर कोई बल नहीं देना चाहता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अन्तिम आख्या सं0-55/22 दि0-27-06-22 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(क0प्र0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास,
अलीगढ़।
(आई.डी. सं0-यू.पी.2457)